



महात्मा बुद्ध के बौद्ध दर्शन का शैक्षिक चिन्तन एवं उसके उद्देश्य

हवेन्द्र कुमार शर्मा

शोधार्थी

सी.एम.जे. विश्वविद्यालय

जोराबट, मेद्यालय।

डा० मो० मेराज आलम नहल

शोध निर्देशिका

सी.एम.जे. विश्वविद्यालय

जोराबट, मेद्यालय।

महात्मा बुद्ध के उपदेशों एंव शिक्षा का आधार आचार-विचार था। उन्होंने आचार पर विशेष महत्व दिया, यदि यह कहा जाए कि बुद्ध की सम्पूर्ण देशना एक नैतिक आचार-संहिता थी तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। बुद्ध देशना में न केवल कोरी दार्शनिक मीमांसा थी, न कोरी साधनाचार्य अपितु यथाकथचित् व्यवहार के सहारे परमार्थ की ओर संकेत था। चार आर्य सत्यों का विस्तृत निरूपण भगवान् बुद्ध की भारतीय दर्शन को महत्वपूर्ण देन है।

1.1. चार आर्य सत्य :

प्रथम सत्य-दुःख :—पालि एंव संस्कृत बौद्ध साहित्य में प्रायः दुःख की व्याख्या एक समान ही की गयी है। भगवान् कहते हैं, जन्म लेना, वृद्ध होना, मरना, शोक करना, रोना—पीटना, पीड़ित होना, चिन्ता करना, परेशान होना, इच्छित वस्तु की प्राप्ति न होना दुःख है। यह दुःख तीन विभागों में विभाजित किया गया है।

1. दुःख दुःखता
2. संस्कार दुःखता और
3. विपरिणाम दुःखता।

पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर मृत्यु का शासन न हो, जीवन दुःखों से परिपूर्ण है। सभी वस्तुएं जो उत्पन्न हुई हैं, दुःख, अनित्य और अनात्मरूप हैं। बुद्ध कहते हैं कि सम्पूर्ण जीवन में दुःख छाया हुआ है। एवं यह सर्वव्यापी है।

1.2 अष्टांग मार्ग –

1. सम्यक दृष्टि : सम्यकदृष्टि अष्टांगिक मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। इसका अर्थ है — ठीक अथवा यथार्थ दृष्टि। यह दर्शन और ज्ञान से युक्त होती है, वस्तुओं का जैसा स्वरूप है, उनका उसी रूप से ज्ञान और दर्शन होना ही सम्यकदृष्टि है। लोक परलोक, माता पिता, दान, हुत, अच्छे—बुरे कर्मों का फल—विपाक है, ऐसा ज्ञान होना ही सम्यकदृष्टि है। ‘अभिधम्मपिटक’ के ‘विभग’ ग्रन्थ में चार आर्यसत्यों के ज्ञान को ही ‘सम्यकदृष्टि’ कहा गया है। संसार दुःख से पीड़ित है, सत्त्व तृष्णाजाल में आबद्ध है। वह इस जाल से मुक्त हो सकता है, मुक्त होने का उपाय भी है। इसे जानना, सम्यक रूप से इनका दर्शन करना ही ‘सम्यकदृष्टि’ है। जो कुशल और अकुशल को जानता है उसे भी सम्यकदृष्टि कहा गया है। नाम और रूप धर्मों में

अनित्या, दुःखता एवं अनात्मता का विचार करने वाला ज्ञान 'विपश्यना लौकिक सम्यकदृष्टि' है। लोकोत्तर मार्ग एवं फल में सम्प्रयुक्त ज्ञान अर्थात् आर्य अष्टांगिक मार्ग में होने वाला ज्ञान लोकोत्तन सम्यकदृष्टि कहलाता है। यह लोकोत्तर, सम्यकदृष्टि भी दुःख को जानने, समुदाय सत्य का प्रहाण करने, निरोध सत्य का साक्षात्कार करने और मार्ग सत्य की भावना करने में चार प्रकार की हो जाती है।

2. सम्यक संकल्प : सम्यक संकल्प सम्यक दृष्टि की ही उपज है। यह त्याग के लिए तीव्र इच्छा है, सबके साथ मिलकर प्रेम पूर्वक जीवन बिताने की आशा (संकल्प) है, एवं यथार्थ मनुष्य जाति के निर्माण की महत्वाकांक्षा है। पृथकता के विचार को त्यागकर महत्वाकांक्षी व्यक्ति सम्पूर्ण जगत के लिए कार्य करता है। संकल्प यथार्थ होना चाहिए। सम्यक-संकल्प को निष्काम-संकल्प, अल्पवाद-संकल्प एवं अविहिंसा संकल्प कहा गया है अर्थात् राग-द्वेष-वर्जित संकल्प ही सम्यक संकल्प है। दृढ़-संकल्प रखने वाला महत्वाकांक्षी व्यक्ति सदैव प्राणिनाम के कल्याण के लिए तत्पर रहता है।

3. सम्यक वाक् : सम्यक संकल्प कर लेने के उपरान्त सम्यक वाक् का अभ्यास किया जाता है। धार्मिक कथाओं की चर्चा करना अथवा आर्य-मौन का पालन करना ही सम्यक वाक् कहलाता है। दूसरे शब्दों में मृषावाद, पैशून्य, परुषता इनसे विरति सम्यक वाक् है।

4. सम्यक कर्म : सम्यक कर्म निःस्वार्थ कर्म का नाम है। प्रथावाद अथवा रीतिबन्धन प्रार्थना, उपासना, कर्मकाण्ड, वशीकरण एवं जादू-टोना, मनुष्य अथवा पशु की बलि दिए जाने वाले यज्ञ-योग आदि में बुद्ध का कोई विश्वास नहीं था। संक्षेप में, सम्यक कर्म उन कर्मों को कहा जाता है जो सांसारिक प्राणियों पर अनुकम्पा करने के आशय से लिए जाते हैं।

5. सम्यक आजीव : सम्यक आजीव अर्थात् ठीक अथवा यथार्थ आजीविका। सम्यक आजीव का अर्थ है सत्त्वों के जीवनयापन के सत्साधन। इस संसार में हजारों सत्त्व हजारों तरह से अपनी-अपनी जीविका चलाते हैं। भगवान बुद्ध ने स्वयं 'दीर्घनिकाय' के ब्रह्माजाल सुक्त में सत्त्वों की नाना आजीविकाओं का वर्णन करते हुए कहा है कि सत्त्व अपने जीवन का निर्वाह कैसे-कैसे साधनों को अपनाकर करते हैं। लोग विष, शस्त्र, सत्त्व, मंदिरा, मांस बेचकर, झूठे नाप-तौल से ग्राहकों को धोखा देकर, देकर, झांसों, नौकरों एवं जानवरों का व्यापार आदि करके अपना जीवन-निर्वाह करते हैं, ये ही सब मिथ्या आजीव हैं और इन्हीं आजीविकाओं का सहारा न लेकर सदाचरण से जीवन-यापन करना ही सम्यक आजीव है।

6. सम्यक व्यायाम : 'व्यायाम' का अर्थ यहां 'प्रयत्न' अथवा 'पुरुषार्थ' है। अकुशल धर्मों का त्याग करना और कुशल धर्मों का उपार्जन करना ही सम्यक व्यायाम है। यह चार प्रकार का होता है –

1. अनुत्पन्न अकुशल कर्मों को उत्पन्न न करना।
2. अनुत्पन्न कुशल कर्मों को उत्पन्न करना।
3. उत्पन्न अकुशल कर्मों का प्रवाण करना।
4. उत्पन्न कुशल कर्मों का संरक्षण करना।

7. सम्यक् स्मृति : स्मृति का अर्थ स्मरण है। सम्यक् स्मृति का अर्थ हुआ ठीक स्मरण, यथार्थ स्मृति। स्मृति हिताहित का अन्वेषण कर, अहित का त्याग कर हित का आदान-प्रदान करती है, कुशल धर्मों की ओर ले जाती है। स्मृति जिसकी जितनी दृढ़ होगी वह उतना ही जागरुक और सावधान होगा तथा ज्ञान-लाभ में बढ़ा-चढ़ा रहेगा। स्मृति आलम्बन में प्रवेश कर विषय को निश्चित रूप से चित्त में स्थिर करती है। लोभ और दौर्मनस्य को दूर कर काय, वेदना, चित्त और धर्म अर्थात् मन के विषयों के प्रति जागरुक, प्रयत्नशील, ज्ञानयुक्त, सावधान रहना ही सम्यक स्मृति है। 'सम्यक् स्मृति' को बौद्ध धर्म में काफी महत्व दिया गया है। यह ज्ञान प्राप्ति एवं विशुद्धि तथा निर्वाण का साक्षात्कार कराने का एकमात्र मार्ग है। भगवान् बुद्ध बारम्बार इसी कारण अपने शिष्यों को स्मृति और सम्प्रज्ञान से युक्त रहने के लिए आदेश देते हैं।

8. सम्यक् समाधि : कुशल चित की एकाग्रता को 'समाधि' कहा गया है। समाधिस्थ भिक्षु, क्रोध, आलस्य, उद्धतपना, पछतावा और सन्देह से विगत होता है। उसे सांसारिक लाभ थोड़ा भी नहीं डिगा सकते। वह तत्वों पर महाकरुणापूर्ण चित्त से वितरण करता है, वह उपेक्षावान् होता है, वह पंचस्कन्धों को दुःख, अनित्य और अनात्मरूप समझता है। योगी भिक्षु सभी संस्कारों का शमन कर, तृष्णा का प्रहार कर निर्वाण-लाभ करता है।

1.3 राष्ट्र बौद्ध :—

बाबा साहेब डॉ अम्बेडकर ने कहा था— मैं भारत बौद्ध मय करूँगा उनके इस कथन की पुष्टि करने के लिए मेरा प्रश्न यह है कि— भारतीय संविधान कौनसे धर्म पर आधारित है:—

26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। भारतीय संविधान के कारण महात्मा बुद्ध तथा सम्राट् अशोक के देश का, एक नये रूप में संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉ अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान के माध्यम से, दुनिया के सामने भारत देश को पुनः स्थापित किया। भारत को "बुद्ध का देश" के नामसे जाना जाता रहा है।

इस प्रकार भारत की पहचान करने वाली प्रत्येक प्रतीक का बुद्ध धर्म से संबंध है। विडम्बना है कि समस्त प्रतीक चिन्ह रंग, भाषा आदि अद्वेतवाद धर्म के शंकराचार्य व मनुवादियों ने अपना कहकर प्रचारित व प्रसारित कर रखा है। आज जरूरत है बाबा साहेब के कारवां को आगे बढ़ाने की ओर इतिहास की सही जानकारी की, जिससे हमारे समाज के लोग आज तक अनभिज्ञ हैं। बाबा साहेब ने सारी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षणिक व कानूनी व्यवस्था संविधान के माध्यम से हमारे समक्ष रखी है। जरूरत है बस उसे गम्भीरता से अमली जामा पहनाने की।

1.4 बौद्ध दर्शन की शैक्षिक विचारधारा—

बौद्ध युग में शिक्षा के केन्द्र विहार, संघ एवं विश्वविद्यालय के रूप में विख्यात विशाल केन्द्र थे। बौद्ध नियमों

तथा ग्रन्थों में शिक्षा देने की किसी अन्य व्यवस्था का उल्लेख नहीं मिलता है। धार्मिक तथा लौकिक सम्पूर्ण बौद्ध शिक्षा बौद्ध भिक्षुओं के हाथ में थी। वे ही शिक्षा के अभिरक्षक का कार्य करते थे। बौद्ध संघ तथा धर्म में दीक्षारम्भ संस्कार ब्राह्मण पद्धति से मिलता जुलता है।

बौद्ध शिक्षा में पहला कदम था पवज्जा जिसका अर्थ होता है, आगे चलना यह विद्यार्थी का विद्यालय में प्रवेश होता था। संघ में प्रविष्ट होने पर सामान्य व्यक्ति को किसी गुरु की देख-रेख और अनुशासन में रहकर अध्ययनादि कार्य करने पड़ते थे। इस प्रकार की दीक्षा के लिए नियम न्यूनतम आयु आठ वर्ष थी, कहीं-कहीं छः या सात वर्ष में पवज्जा दी जाती थी।

छात्रावस्था का काल बारह वर्ष होता था। गंभीर शारीरिक या नैतिक दुर्बलता संघ के प्रवेश में बाधा थी। प्रथम दीक्षा सरल थी, इसमें विद्यार्थियों को केश मुंडन करवाना, पीत वस्त्र धारण करना होता था, उसके बाद बुद्ध, धर्म एवं संघ इन तीनों की शरण की प्रतिज्ञा करना सम्मिलित था। बालक भिक्षु को किसी गुरु की देख-रेख में रहने से पहले दस आदेश दिए जाते थे, जिनका पालन अनिवार्य था।

प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति ने विश्वविद्यालयीय शिक्षा के साथ-साथ धर्म व नैतिकता पर सकेन्द्रित शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। यह शिक्षा मुख्यः धार्मिक संगठनों द्वारा संचालित होती थी। इस परम्परा का विस्तार बौद्ध धर्म की स्थापना से ही आरम्भ हो गया किन्तु धर्म आधारित शिक्षा में धर्म सिद्धान्तों का संकेन्द्रण अधिक रहता है। इसलिए सम्राट् अशोक ने धर्म महामात्य स्त्री एवं ब्रजभूमिक अधिकारियों की नियुक्ति करके धर्म उपदेशों का विस्तार किया। इन मूल प्रयोजन जनमानस का नैतिक उत्थान करना था।

इसी लोकप्रिय विचारधारा की प्रस्तुति दीर्घ शिलालेखों व स्तत्भलेखों में होता है। अशोक के उपरान्त सातवाहन, कुषाण, गुप्त, गुप्तोत्तर पल्लव, राष्ट्रकूट व चोल शासकों ने ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में अग्रहार व ब्रह्मादेय संस्थाओं को मजबूत किया। इनका मूल प्रयोजन शिक्षा, सामाजिक नैतिकता एंवं दायित्वपूर्ण समाज को बनाये रखना था। इनका सकारात्मक परिणाम यह रहा है कि समाज में अशान्ति व अनैतिकता कम रही।

महत्वपूर्ण यह रहा है कि अग्रहार व ब्रह्मादेय दानग्रहीता, बौद्ध व ब्राह्मण धर्मों से सम्बन्धित थे। धीरे-धीरे इनके द्वारा प्राथमिक शिक्षा का भी विस्तार किया गया। इसी विचारधारा का बाद में सूफी खानकाओं एवं मदरसों ने भी स्वीकार किया। हालांकि इनमें धर्म तत्व की प्रधानता रही। इनके अतिरिक्त बौद्ध मठ व विहार भी शिक्षा के लिए जाने जाते थे। इनका मूल प्रयोजन विशाल भिक्षु वर्ग को बनाना था जो धर्म व उससे जुड़े सिद्धान्तों का अनवरत् संरक्षण कर सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध शिक्षा सर्वसुलभ थी, इसमें धार्मिक कर्मकाण्डों एवं वर्णभेद की कोई जगह नहीं है। धनी-निर्धन स्त्री पुरुष सभी को समान मानकर शिक्षा प्रदान की जाती थी जिसके कारण बौद्ध शिक्षा का व्यापक प्रसार हुआ है, बौद्ध शिक्षा का माध्यम जनभाषा होने के कारण बौद्ध शिक्षा का प्रचार-प्रसार सर्वत्र हुआ। बौद्ध धर्म विदेशों में फैलने लगा, सुदूरवर्ती देशों में भी बौद्ध शिक्षा का प्रादुर्भाव हुआ जो आज भी विद्यमान है। बौद्ध कालीन शिक्षा का विस्तार

जनसाधारण के मध्य तीव्र गति से हुआ। बौद्ध शिक्षा ने अपनी सरलता का जनसाधारण पर अत्यधिक प्रभाव डाला। बौद्ध शिक्षा का प्रभाव न केवल जन सामान्य पर था अपितु अनेक राजपरिवारों, राजाओं, धनी व्यक्तियों पर भी बौद्ध शिक्षा का प्रभाव पड़ा। बौद्ध शिक्षा केन्द्रों में अनेक राजपरिवार, कुलीन तथा धनी परिवार अपने पुत्रों को शिक्षा प्रदान कराने हेतु उत्सुक रहते थे। बौद्ध शिक्षा के सतत रूप ने देश में एक नवजागरण का वातावरण पैदा कर दिया। इस प्रकार हम पाते हैं कि बौद्ध शिक्षा का समाज पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा जिससे बौद्ध धर्म का विस्तार जनसाधारण में तीव्र गति से हुआ।

1.5 बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य

बौद्ध शिक्षा प्रणाली में मूलभूत परिवर्तन हुए। पाठ्यक्रम में दर्शन, साहित्य, आयुर्वेद जैसे लौकिक विषयों को स्थान दिया गया। लौकिक उन्नति को भी आध्यात्मिक विकास का अंग माना गया। इस प्रकार बौद्ध दर्शन ने शिक्षा के नवीन तथा व्यावहारिक उद्देश्य निर्धारित किये। शिक्षार्थी के लिए यह उपयोग अत्यन्त उपयोगी थे, आज भी शिक्षा के वर्तमान उद्देश्य से प्रेरित है।

1. चरित्र निर्माण :—बौद्ध शिक्षा में चरित्र निर्माण प्रमुख उद्देश्य माना जाता था। आचार्य का मुख्य कार्य था, नैतिक नियमों की स्थापना करके शिक्षार्थी का चरित्र निर्माण करना। चरित्र निर्माण करने के लिए आवश्यक नियमों का निर्धारण किया गया है। आचार्य अपने शिक्षार्थियों के लिए यह सुनिश्चित करता था कि कौन सी आदतें ग्राह्य हैं और कौन सी आदतें त्याज्य! किस कार्य में शिक्षार्थी कों तत्परता दिखानी चाहिए तथा किस कार्य की उपेक्षा।

2. व्यक्तित्व विकास :—बौद्ध शिक्षा में शिक्षा का द्वितीय मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थी का व्यक्तित्व विकास करना था। आत्म-विश्वास, आत्मसम्मान, आत्म-संयम तथा आत्म निर्भरता का विकास ही व्यक्तित्व विकास कहलाता था। भविष्य की अनिश्चितता से आत्म-विश्वास में कमजोरी आती है परन्तु तत्कालीन बौद्ध शिक्षा में पाठ्यक्रम व्यवसायपरक था अतएव छात्रों भविष्य की अनिश्चितता नहीं थी।

3. संस्कृति संरक्षण :— सांस्कृतिक परम्पराओं और संस्कृति का संरक्षण बौद्ध शिक्षा प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। बौद्ध शिक्षा ने भगवान् बुद्ध के उपदेश एवं सांस्कृतिक धरोहर को अपने दर्शन में, अपनी शिक्षा में सर्वाधिक महत्व दिया।

4. धार्मिकता का विकास —शिक्षार्थी के मानस में धार्मिकता को उदयित करना बौद्ध शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना गया हैं भगवान् बुद्ध का आदेश था कि प्रत्येक भिक्षु— भिक्षुणियां उपासक को विनय एवं धम्म की सम्यक शिक्षा दी जाए।

5. सर्वांगीण विकास :— मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसके समस्त क्रिया कलाप समाज के आधार पर होता है; तथा सामाजिक गतिविधियों एवं परिस्थितियों से संचालित होते हैं। अतः बौद्ध शिक्षा में वैयक्तिक उन्नति के साथ-साथ सामाजिक कुशलता का भी ध्यान रखा जाता था।

बौद्ध शिक्षा में मनुष्य का परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति था। बौद्ध धर्म का मूलाधार दुःखों का अन्त था। निर्वाण को ही दुःखों का अन्त माना जाता था। मोक्ष की प्राप्ति के लिए या तो गहनता या साधना परमावश्यक था या ज्ञान प्राप्त करना। बौद्ध शिक्षा में विद्यार्थी जीवन की आयु पच्चीस वर्ष निर्धारित थी, किन्तु कुछ उपासक जीवन पर्यन्त सतत् अध्ययन में रहते थे, इन उपासकों का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त करना था। उपासक जीवन को मोहमाया से दूर रहकर ज्ञान प्राप्त हेतु सदैव प्रयासरत रहते थे। उपासकों का एक मात्र लक्ष्य था ज्ञान प्राप्ति। हेनसांग वर्णन करता है कि सारे कष्टों को भूलकर ये साहित्य और विज्ञान में अपनी प्रवीणता बढ़ाते ही रहते थे। धनिक तथा राजपुत्र भी परिव्राजक होकर भिक्षाटन कर जीवन यापन करते थे। तथा सत्य तथा ज्ञान में ही अपना सम्मान समझते थे सदैव अपनी ज्ञान पिपासा की शान्ति के लिए विचरण करते रहते थे। जातकों से ज्ञात होता है कि देशाटन से भी उपासक शिक्षा प्राप्त करते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि शिक्षा ग्रहण की यह विधि आजीवन शिक्षा प्राप्त करने वाले शिष्यों के लिए ही थी। देशाटन का उल्लेख उपसम्पदा के बाद किया गया है। ये देशाटन एक प्रकार से शैक्षिक भ्रमणों से देश-काल-वातावरण, व्यवसाय, परम्पराओं तथा विषमताओं आदि का परिचय प्राप्त कर अपने ज्ञान को सार्वभौमिक रूप प्रदान करता था।

3.10 निष्कर्ष-

बौद्ध शिक्षा में सतत् शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा के प्रभाव बौद्ध दर्शन पर स्पष्टत पड़ा जिसके बौद्ध दर्शन सारगर्भित, धर्मनिरपेक्ष तथा सर्वग्राह्य हो गया। चीनी यात्रियों में बौद्ध धर्म दर्शन की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। सतत् शिक्षा का प्रमुखतः प्रभाव बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार पर पड़ा, बौद्धधर्म सुदूरवर्ती देशों में भी फैल गया तथा जनसाधारण बौद्ध धर्म के प्रति विशेष निष्ठा उत्पन्न हो गयी थी।

व्यापक अर्थों में सतत् शिक्षा एवं आजीवन शिक्षा पर्यायवाची है और इन्हें जन्म से मृत्यु तक अविरल चलने वाले शैक्षिक प्रवाह के रूप में समझना उपयुक्त है। बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में बौद्ध भिक्षु आजीवन अध्ययन प्राप्ति में संलग्न रहते थे क्योंकि उनके अध्ययन में विवाह जैसी कोई बाधा नहीं थी। कदाचित् इसी कारण इस प्रकार विद्यार्थियों के लिए पृथक पाठ्यक्रम था, वह अपेक्षाकृत विस्तृत रूप धारण किए रहते थे। बौद्ध भिक्षु सभी धर्मों के ग्रन्थों का सूक्ष्म अध्ययन करते थे तथा उनके तत्वज्ञान द्वारा अपना ज्ञानवर्धन करते रहते थे। नालन्दा बौद्ध भिक्षुओं की शिक्षा के सम्बन्ध में हुई ली लिखते हैं कि “भिक्षु महायान शाखा, हीनयान की अठारह शाखाओं, वेद, हेतु विद्या, शब्द विद्या, चिकित्सा विद्या, सांख्य एवं अन्य साहित्यिक ग्रन्थों का अध्ययन करते थे।” बौद्ध भिक्षुओं विशेषकर त्रिपिटक, अशवघोष कृत बुद्ध चरित, नागार्जुन कृत जातक मात्रा, योगाचार शास्त्र का अध्ययन कराया जाता है बौद्ध भिक्षु बौद्ध दर्शन में पूर्णतः दक्ष होते थे। वस्तुत अन्य दर्शनों के अध्ययन तथा तुलनात्मक अध्ययन उसी बुद्धि में प्रखरता उत्पन्न करता था। बौद्ध भिक्षु उपसम्पदा की विधि के पश्चात् दीक्षान्त हो जाता था परन्तु इसके पश्चात् भी उनकी सतत् शिक्षा चलती रहती थी वे विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त कर अपने विषय ज्ञान समुन्नत और उत्कृष्ट करने का प्रयास करते रहते थे। गुरु-शिष्य सम्बन्ध पूर्ववत् प्रगाढ़ रूप में विद्यमान रहते थे। धार्मिक अवसरों पर शिष्य आचार्यों को आमंत्रित कर सम्मान करते थे उन्हें उपहार, दक्षिणा सहर्ष प्रदान करते थे। आचार्य भी अपने शिष्यों से स्वाध्याय की चर्चा कर उनकी शंकाओं का समाधान करते रहते थे।

- अट्ठकथाओं का हिन्दी अनुवाद : भिक्षु यप, जगदीश, (1931) भिक्षु उकिलिमा द्वारा प्रकाशित, वाराणसी, प्रथम संस्करण, द्वितीय संस्करण, (1951)।
- अष्टसाहस्रिका प्रज्ञपारमिता : मित्र, राजेन्द्रलाल, (1888), सं० बिल्योथेका इण्डिका।
- अभिधर्मकोष : सांकृत्यायन, राहुल, (1988), द्वारा स्वीय नालन्दिका टीका सहित सं० काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
- इतिवुत्तक : सांकृत्यायन, राहुल तथा कौशल्यायन, आनन्द एवं का यप, जगदीश द्वारा, देवनागरी लिपि में सं०, उत्तम भिक्षु द्वारा प्रकाशित, (1937)।
- ईशादि नौ उपनिषद् शांकरभाष्यार्थ : (हि०अनु०) गीताप्रेस, (2001) ; गोरखपुर उपनिषद् संग्रह : सम्पा० जगदीश शास्त्री, (1970), मोतीलाल बनारसीदास; दिल्ली।
- उपदेशसाहस्री : हि०अनु० पं० त्रिभुवननाथ भार्गव, (1914), भार्गव पुस्तकालय; वाराणसी।
- अंगुत्तरनिकाय : नव नालन्दा, महाविहार, (1961), पी०टी०एस० लन्दन, (1884–1900) ; एम० हण्ट ने छठे भाग के रूप में अनुक्रमणी तैयार की, पी०टी०एस०, लन्दन, (1910), हिन्दी अनुवाद, आनन्द कौशल्यायन, (1957), महाबोधि सभा, कलकत्ता, प्रथम भाग, द्वितीय भाग, (1963), तृतीय भाग, (1964), चतुर्थ भाग, 1966।
- कथावस्थु : टेलर, ए०सी० (1849–97) द्वारा रोमन लिपि में, दो जिल्दों में संपादित, पी०टी०एस०, लन्दन।
- कठोपनिषद् शांकरभाष्य : सम्पा० डॉ० कपिलदेव द्विवेदी और प्रो० अमरनाथ शुक्ल, (1986), रामनारायण प्रहलाददास; इलाहाबाद।
- खुदक निकाय : उदान : सम्पादक पी० स्टाइनथल, पी०टी०एस० लन्दन, (1885), नालन्दा देवनागरी संस्करण, (1959), भिक्षु जगदीश का यपकृत, महाबोधि सभा सारनाथ, बुद्धाष्ट्य 2482।
- खुदक निकाय : खुदक पाठ : मूल पालि और हिन्दी अनुवाद भिक्षु, धर्मरत्न एम०ए० (1954) कृत, महाबोधि सभा सारनाथ।
- चरियापिटक : सांकृत्यायन, राहुल, कौशल्यायन, आनन्द और क यप, भिक्षु जगदीश द्वारा देवनागरी लिपि में सम्पादित, (1936)।
- जातक : लन्दन, कौशल्यायन, आनन्द, प्रयाग, प्रथम खण्ड, (1913), द्वितीय खण्ड, (1942), तृतीय खण्ड (द्वितीय संस्करण), (1971), चतुर्थ खण्ड, (2008), पंचम खण्ड, (2013)।
- जातक अट्ठकथा : रक्षित, भिक्षु धर्म (1951), द्वारा सम्पादित, भारतीयशानपीठ, दुर्गाकुण्ड, वाराणसी।
- जातक निदानकथा : रक्षित, भिक्षु धर्म (1956), वाराणसी।
- तत्वार्थसूत्र : सम्पा० सुखलाल संघवी, (2000), श्री मोहनलाल दीपचन्द चोकसी; मुम्बई।